



राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
 Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
 Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>
 e-mail: jdpccce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक: एफ4 (26)आकाशि/नि.सं./2021/ 574

दिनांक:- 06/10/2021

आदेश

राजस्थान गेर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 तथा तत्संबंधी नियम, 1993 एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यान मिती महाविद्यालय नीति एवं अन्तर्गत शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2023-24 (तीन सत्र) के लिए स्नातक स्तर पर नवीन निझी महाविद्यालय संचालन हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान किया जाता है-

संचालक संस्था	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्ध किश्वविद्यालय	पाठ्यक्रम
किश्वविद्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर।	लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर।	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।	अनिवार्य विषयों सहित स्नातक स्तर पर कला संकाय- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, वित्रकाला, भूगोल, राजनीति विज्ञान, इतिहास, संस्कृत। विज्ञान संकाय- भौतिकज्ञान, रसायनज्ञान, गणित, धनरस्पतिशास्त्र, प्रायोगिकगण।

- प्रस्थान अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त प्रायेक सत्र हेतु नियमानुसार यथा निरीक्षण शुल्क आदेश करेंगी।
- प्रस्थान सत्र 2024-25 में निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवृद्धि हेतु आवश्यक करेंगी।
- नियमा किश्वविद्यालय के भवन में संचालित महाविद्यालय हेतु प्रथम अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राहि पश्चात् तीन मत्रों में मानदण्डानुसार स्वयं की भूमि पर स्वयं के भवन का नियमण पूर्ण करेंगी।
- नियमा द्वारा साक्षि जमा राशि (एफ.डी.आर.) का प्रत्येक 5 वर्ष में नवीनीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।
- आयशक्तानुसार आयुक्तालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा नहाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता तथा संस्था अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगी।
- संस्था संविधित विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करेंगी तथा विधि महाविद्यालय के प्रकरण में बीठी0आई0 से मान्यता दे विश्वविद्यालय से संबद्धता पर अनुग्रहन प्राप्त करेंगी। तत्प्रचात् ही विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायें।
- संस्था प्रथम अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित गोग्यताधारी प्राचार्य, आवृत्ति विषयों के व्याख्याता, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गोग्यताधारी अशेषणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित करेंगी।
- संस्था संसाधन एवं विषयवार सीटों का आवृत्त विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त कर, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग का सूचित करेंगी तथा महाविद्यालय तदनुसार तथा संस्था सीमा में ही प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित करेगा।
- गण दरकार की नहाविद्यालय प्रवेश नीति 2021-22 तथा याद में जारी होने वाली नीतियों का पालन करना होगा।
- प्रस्था प्रति वर्ष विभाग की वेबसाइट www.hte.rajasthan.gov.in से संलिङ्गी पुस्तिका एवं महाविद्यालय विद्युतिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेंगी।
- गानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के वेबपोर्टल www.aishe.nic.in पर महाविद्यालय को रजिस्टर कर्याकार DCF-II (Data Capture format-II) भरकर अपलोड करना अनिवार्य होगा। तत्प्रचात् महाविद्यालय इसकी राई कोषी आगामी 15 दिवस में आयुक्तालय में प्रस्तुत करेंगा।

उपर्युक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- विशिष्ट ग्राहक, मा० उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- निझी सचिव-शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निझी सचिव आयुक्त आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
- प्रिला कलकटर, जयपुर।
- कुल सचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
- सांस्कृति का शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- राज्यत पत्रावली।

संयुक्त निवेशक (नि०सं०)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर